UPCH010027462025

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)/एफ0टी0सी0 (न्यू), चित्रकूट।

पीठासीन अधिकारी- (राम मणि पाठक), (उच्चतर न्यायिक सेवा) - UP 1594

विशेष (विद्युत) वाद संख्या–647/2025

उ0प्र0 राज्य .....**अभियोजक।**

बनाम

अवधेश कुमार उर्फ अवधेश नारायण पुत्र स्व0 प्रेम नरायन निवासी बनाड़ी ग्राम बनाड़ी सिद्धपुर, थाना कर्वी, जिला चित्रकूट, उ0प्र0।

.....**अभियुक्त।**

अपराध संख्या–1043/2022
धारा–135 भा0वि0अधि0
थाना–एंटी पावर थेफ्ट,
जनपद–चित्रकूट।

अभियोजन की ओर से विद्वान अधिवक्ता .....श्री मुगीशुद्दीन सिद्दीकी।
अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता .....श्री श्याम दत्त त्रिपाठी।

निर्णय

1. अभियुक्त **अवधेश कुमार उर्फ अवधेश नारायण** पुत्र स्व0 प्रेम नरायन निवासी बनाड़ी ग्राम बनाड़ी सिद्धपुर, थाना कर्वी, जिला चित्रकूट का विचारण मुकदमा अपराध संख्या–1043/2022, धारा–135 भारतीय विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत थाना एंटी पावर थेफ्ट, जनपद चित्रकूट की पुलिस द्वारा प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर किया गया है।

2. अभियोजन कथानक संक्षेप मे इस प्रकार है कि दिनांक 21.09.2022 को समय 12:10 पी0एम0 पर वादी मुकदमा सुनील अनिल कुमार, अवर अभियन्ता प्रवर्तन दल चित्रकूट द्वारा अन्य कर्मचारीगण के साथ अभियुक्त के परिसर स्थित ग्राम बनाड़ी थाना कर्वी जिला चित्रकूट को चेक किया गया तो अभियुक्त द्वारा संयोजन संख्या–781714820966 एल0एम0वी0 5 विधा 7.5 एच0पी0 जो स्व0 प्रेम नरायण पुत्र कल्लू के नाम से स्वीकृत है, से अपनी निजी नलकूट के स्टार्टर से दो कोर की अतिरिक्त तारे/केबल खींचकर 03 एच0पी0 के मोटर से आटा चक्की लगाकर एल0एम0वी0 2 विधा मे लगभग 03 किलोवाट की विद्युत का उपभोग/चोरी करते हुये पाया गया।

3. वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाना एंटी पावर थेफ्ट, जनपद चित्रकूट मे अभियुक्त अवधेश कुमार उर्फ अवधेश नारायण के विरूद्ध अपराध संख्या–1043/2022 धारा–135 भारतीय विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट

Digitally signed by RAMMANI PATHAK
Date: 2026.04.29 16:47:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पंजीकृत की गयी, जिसका विवरण दिनांक 22.09.2022 को कायमी जी0डी0 नम्बर 05 समय 18:40 बजे अंकित किया गया।

4. मामले की विवेचना उप निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार के द्वारा की गयी, जिन्होने घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी तैयार किया एवं साक्षियों के कथन अंकित किये तथा दौरान विवेचना संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त अवधेश कुमार उर्फ अवधेश नारायण के विरूद्ध धारा–135 भारतीय विद्युत अधिनियम के तहत आरोप–पत्र न्यायालय प्रेषित किया।

5. अभियुक्त के विरूद्ध प्रेषित आरोप–पत्र पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया तथा अभियुक्त के विरूद्ध धारा–135 भारतीय विद्युत अधिनियम के तहत आरोप दिनांक 23.03.2026 को विरचित किया गया, जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया और विचारण की मांग की।

6. इसी स्तर पर अभियोजन/विद्युत विभाग की ओर से दिनांक 23.04.2026 को आदेश पत्र के हंसिये पर इस आशय का पृष्ठांकन किया गया कि उक्त मामले मे अभियुक्त द्वारा राजस्व निर्धारण एवं शमन शुल्क छूट के तहत जमा कर दिया गया है, कोई अवशेष धनराशि नही है तथा उक्त मुकदमे मे साक्ष्य प्रस्तुत नही करना है। तत्पश्चात् अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया। अभियुक्त ने अपने बयान मे अभियोजन कथानक को गलत बताया है तथा मुकदमे को झूंठा व गलत चलना कहा है। अभियुक्त ने प्रतिरक्षा मे साक्ष्य देने से भी इन्कार किया है।

7. मैने राज्य की ओर से विद्युत विभाग के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता की बहस सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

8. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त निर्दोष है। उसे झूंठा फँसाया गया है। अभियोजन पक्ष उस पर लगाये गये आरोप को साबित नहीं कर सका है। इसके अतिरिक्त यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि असुविधाओं से बचने के लिए अभियुक्त ने सम्बन्धित प्राधिकारी विद्युत विभाग से अपराध का शमन कर लिया है तथा निर्धारित शमन शुल्क व बकाया विद्युत बिल विभाग मे जमा कर दिया है और अब विद्युत विभाग का कोई बकाया शेष नहीं है।

9. राज्य की ओर से विद्युत विभाग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अभियोजन कथानक सत्य है तथा विवेचक द्वारा मामले की सही विवेचना करते हुये अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाये।

10. अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि असुविधाओं से बचने के लिए अभियुक्त द्वारा सम्बन्धित प्राधिकारी विद्युत विभाग से अपराध का शमन कर लिया गया है तथा शमन शुल्क विद्युत विभाग मे जमा कर दिया गया है। इस सम्बन्ध मे अभियुक्त की ओर से शमन शुल्क मु0 7,957/– रूपये दिनांक 03.01.2026 को जमा किये जाने की रसीद कागज संख्या–15ख/12 एवं सम्पूर्ण विद्युत बिल जमा रसीदे कागज संख्या–15ख/10 मु0 31,829/– रूपये व कागज संख्या–15ख/11 मु0

12,000/– रूपये दिनांकित 03.01.2026 को भी दाखिल किया गया है। अभियुक्त के द्वारा दाखिल की गयी शमन शुल्क रसीद कागज संख्या–15ख/12 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त के द्वारा दिनांक 03.01.2026 को अपराध मे शमन करते हुये शमन शुल्क मु0 7,957/–रूपये (सात हजार नौ सौ सत्तावन रूपये) दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कर्वी, चित्रकूट धाम कार्यालय मे जमा किया गया है। अभियुक्त के द्वारा अपराध का शमन कर लेने तथा शमन शुल्क व बकाया विद्युत बिल जमा कर देने का विद्युत विभाग की ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया है, बल्कि विद्युत विभाग के पैरोकार द्वारा पत्रावली के आदेश पत्रक दिनांकित 23.04.2026 के हंसिए पर इस बात का पृष्ठांकन किया गया है कि **'' उक्त मामले मे अभियुक्त द्वारा राजस्व निर्धारण एवं शमन शुल्क छूट के तहत जमा कर दिया गया है, जो पत्रावली मे संलग्न है। कोई अवशेष धनराशि नही है। ''** ऐसे मे चूँकि अभियुक्त ने धारा–152 भारतीय विद्युत अधिनियम मे दिये गये प्राविधान के तहत अपराध का शमन कर लिया है तथा शमन शुल्क जमा कर दिया है। अतः धारा–152(3) भारतीय विद्युत अधिनियम मे दिये गये प्राविधान के तहत इस अपराध मे उसे दोषमुक्त किये जाने का आधार है। तद्नुसार अभियुक्त अवधेश कुमार उर्फ अवधेश नारायण लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–135 भारतीय विद्युत अधिनियम से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त अवधेश कुमार उर्फ अवधेश नारायण पुत्र स्व0 प्रेम नरायन निवासी ग्राम बनाड़ी सिद्धपुर, थाना कर्वी, जिला चित्रकूट को विशेष (विद्युत) वाद संख्या–647/2025, मु0अ0सं0–1043/2022, धारा–135 भारतीय विद्युत अधिनियम, थाना एंटी पावर थेफ्ट, जनपद चित्रकूट के अपराध मे उसके द्वारा शमन कर लिये जाने के आधार पर धारा–152(3) भारतीय विद्युत अधिनियम मे दिये गये प्राविधान के तहत दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है, उसके जमानतनामे एवं व्यक्तिगत बन्ध पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उसके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

विद्युत विभाग अभियुक्त अवधेश कुमार उर्फ अवधेश नारायण से राजस्व की वसूली, यदि कोई शेष हो, को वसूल करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

दिनाँक–29.04.2026

(राम मणि पाठक)
अपर सत्र न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)/एफ0टी0सी0(न्यू),
चित्रकूट।
ID No.-UP 1594

आज यह निर्णय खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा हस्ताक्षरित्, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

दिनाँक–29.04.2026

(राम मणि पाठक)
अपर सत्र न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)/एफ0टी0सी0(न्यू),
चित्रकूट।
ID No.-UP 1594